<u>कार्यालयः—श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर</u>

क्रमांक— 43/सीजेएम/2023 **सागर, दिनांक—20.01.2023**

<u>आपराधिक कार्य विभाजन आदेश 2023</u>

(द.प्र.सं. 1973 की धारा—14 व 15 के अंतर्गत दाण्डिक कार्य विभाजन)

मैं, **श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागर** दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 15 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत सागर जिले में पदस्थ मजिस्ट्रेटगण के मध्य आपराधिक प्रकरणों के संबंध में उचित रूप से कार्य निष्पादन हेतु पूर्व में जारी समस्त आपराधिक कार्य विभाजन आदेश को आतिष्ठित करते हुए निम्नांकित कार्य विभाजन आदेश प्रसारित करता हूँ, जो माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सागर जिला सागर म0प्र0 के अनुमोदन उपरांत ही प्रभावी होगा।

क्रं	मजिस्ट्रेट	अधिकार क्षेत्र	कार्य विभाजन
1	**श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागर**	**आरक्षी केन्द्र मोतीनगर, कोतवाली, गोपालगंज, जी.आर.पी. सागर एवं आबकारी, सागर**	1—पुलिस **थाना <u>मोतीनगर.,कोतवाली, गोपालगंज, जी.आर.पी.सागर एवं आबकारी सागर</u>** से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्व ारा सुनवायी एवं उपार्पण योग्य समस्त पुलिस चालान परिवाद, खात्मा आवेदन एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण।(महिलाओं के विरूद्ध अपराधों एवं विशेष अधिनियम के प्रकरणों को छोड़कर) 2— सबंधित थानों के सिनेमा अधिनियम, एवं कॉपीराइट एक्ट के प्रकरण। 3— संपूर्ण जिला सागर के सभी थाना से संबंधित खारिजी आवेदन। 4— नगर निगम सागर, नापतौल विभाग एवं अन्य समस्त शासकीय विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रकरण। 5— औषधि और प्रसाधन सामग्री अधि., 1940 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 6—सागर क्षेत्र के सभी आरक्षी केन्द्रों से उदभूत मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले इस्तगासा/परिवाद पत्र प्रस्तुत किये जावेगे। 7— क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सागर द्व ारा प्रस्तुत प्रकरण 8— संपूर्ण सागर जिला में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चल रहे प्रकरणों से संबंधित धारा 410 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र। 9— साक्षियों के क्षमादान से संबंधित आवेदन पत्र एवं जिले के बाहर के न्यायालयों से प्राप्त कमीशन के निष्पादन की कार्यवाहियां।

			10– खाद्य अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्रकरण।**(सागर तहसील से संबंधित)** 11– ऐसे प्रकरण जो अन्य मजिस्ट्रेट के न्यायालय से इस न्यायालय को आहरित किये जाये या वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा इस न्यायालय को अंतरित किये जाये।
2	**श्रीमती उर्मिला खेड़कर,** **जेएमएफसी सागर** ,	–	मातृत्व अवकाश पर है।
3	**श्री राजकुमार त्रिपाठी** **जेएमएफसी सागर**	आरक्षी केन्द्र **सिविल लाईन, सागर, केण्ट, वन एवं खनिज विभाग एवं यातायात**	1– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस **थाना–सिविल लाईन,सागर, केण्ट एवं यातायात** से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी/ उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, खात्मा आवेदन एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण। 2– केन्द्रीय **श्रम** परिर्वतन अधिकारी/ निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत समस्त परिवाद एवं **श्रम विभाग** द्वारा प्रस्तुत समस्त परिवाद। 3– तहसील सागर एवं तहसील राहतगढ के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्रों से उत्पन्न **वन एवं खनिज** से संबंधित प्रकरण। 4–. समय–समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।
4	**सुश्री मीनू पचौरी दुबे** **जेएमएफसी सागर**	**आरक्षी केन्द्र, राहतगढ़**	1– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस आरक्षी केन्द्र,**राहतगढ़** से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी/ उपार्पण योग्य पुलिस चालान,परिवाद, खात्मा आवेदन एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण। 2– आरक्षी केन्द्र, **केण्ट, सिविल लाईन, जैसीनगर एवं जी.आर.पी.,सागर से उत्पन्न** महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबंधित समस्त मामले (उपार्पण योग्य सहित) एवं परिवाद (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि0 2005, भरण पोषण, के प्रकरण, अन्य विविध कार्यवाहियां सहित)। 3– थाना **कोतवाली** से उद्भूत धारा 156(3)दप्रस के आवेदन एवं परिवाद तथा **138 एनआईएक्ट** से सबंधित मामले। 4– समय–समय पर माननीय प्रधान जिला

			न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।
5	**श्री आशीष शर्मा (सीनियर) जेएमएफसी सागर**	**आरक्षी केन्द्र, सुरखी**	1–मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस थाना **सुरखी,** से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी/ उपार्पण योग्य पुलिस चालान,परिवाद, खात्मा आवेदन एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण। 2–न्यायिक मजि.प्रथम श्रेणी के विचारण योग्य सागर शहरी एवं ग्रामीण थाना क्षेत्र के **(एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले प्रकरण)** प्रकरण। 3–समय–समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।
.6	**श्री राहुल सोनी, जेएमएफसी सागर**	**आरक्षी केन्द्र, नरयावली**	1.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस थाना **नरयावली** से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी/ उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, खात्मा आवेदन एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण। 2–समय–समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।
7	**सुश्री प्रीति ठाकुर, जेएमएफसी सागर**	**आरक्षी केन्द्र– बहेरिया**	1– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस **बहेरिया** से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी/ उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, खात्मा आवेदन एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण। 2–आरक्षी केन्द्र–**सुरखी, सानौधा, बहेरिया, नरयावली एवं राहतगढ़** से उद्भूत महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबंधित समस्त मामले (उपार्पण योग्य सहित)एवं परिवाद(घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि0 2005, भरण पोषण, के प्रकरण, अन्य विविध कार्यवाहियां सहित)। 2– समय–समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।

.8.	**श्री आशीष शर्मा,जूनियर जेएमएफसी सागर**	**आरक्षी केन्द्र, जैसीनगर**	1–मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस थाना**–जैसीनगर** से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी/उपार्पण योग्य पुलिस चालान,परिवाद, खात्मा आवेदन एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण। 2– थाना **मोतीनगर** से उद्भूत धारा 156(3)दप्रस के आवेदन एवं परिवाद तथा **138 एनआईएक्ट** से सबंधित मामले। 3– समय–समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।
9	**श्री हर्षवर्धन धाकड़ जेएमएफसी सागर**	**आरक्षी केन्द्र, सानौधा**	1– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस **थाना सानौधा** से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई /उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, खात्मा आवेदन एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण। 2–समय–समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।
10	**सुश्री सोनम रघुवंशी जेएमएफसी सागर**	**आरक्षी केन्द्र, मकरोनिया**	1–मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस **थाना मकरोनिया** से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई /उपार्पण योग्य पुलिस चालान,परिवाद, खात्मा आवेदन एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण। 2– **आरक्षी केन्द्र, गोपालगंज,मोतीनगर एवं मकरोनिया** से उद्भूत महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबंधित समस्त मामले (उपार्पण योग्य सहित) एवं परिवाद(घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि0 2005, भरण पोषण, के प्रकरण, अन्य विविध कार्यवाहियां सहित)। 2– समय–समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।
.11	**सुश्री आयुषी उपाध्याय, जे.एम.एफ.सी.,सागर**	**आरक्षी केन्द्र, महिला थाना**	1– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस थाना **महिला थाना** से उत्पन्न

			मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी/ उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, खात्मा आवेदन एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण। 2– **आरक्षी केन्द्र, महिला थाना,कोतवाली** से उद्भूत महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबंधित समस्त मामले (उपार्पण योग्य सहित)एवं परिवाद(घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि0 2005, भरण पोषण, के प्रकरण, अन्य विविध कार्यवाहियां सहित)। 3–थाना **गोपालगंज** से उद्भूत धारा 156(3)दप्रस के आवेदन एवं परिवाद तथा **138 एनआईएक्ट** से सबंधित मामले। 3– समय–समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।
12	**सुश्री रूचिता सिंह गुर्जर जेएमएफसी खुरई**	आरक्षी केन्द्र, **खुरई**	1– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवाई योग्य मामलों को छोड़कर ग्राम न्यायालय खुरई द्वारा सुनवाई योग्य मामले एवं पुलिस **थाना खुरई** से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई/उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, खात्मा आवेदन एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण। 2–**आरक्षी केन्द्र, खुरई** से उद्भूत महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबंधित समस्त मामले एवं परिवाद(घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि0 2005, भरण पोषण, के प्रकरण, अन्य विविध कार्यवाहियां सहित)। 3– नगर पालिका खुरई सीमा को छोड़कर तहसील खुरई के समस्त थाना क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले ग्राम न्यायालय की अधिकारिता वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक प्रकरण, जिनका उल्लेख ग्राम न्यायालय अधिनियम की अनुसूची में किया गया है। 4– खुरई तहसील के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्रों से उत्पन्न समस्त वन एवं खनिज विभाग से संबंधित प्रकरण। 5– आबकारी वृत्त खुरई से उत्पन्न प्रकरण। 6– उपजेल–खुरई में निरूद्ध बंदियों की मृत्यु से संबंधित जांच प्रतिवेदन अंतर्गत धारा 176 द.प्र.सं.। 7– समय–समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं

			अन्य आदेशित कार्य।
13.	**सुश्री आरती आर्य जेएमएफसी खुरई**	आरक्षी केन्द्र **मालथौन, बॉदरी**	1– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस **<u>थाना मालथौन एवं बॉदरी</u>** से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी /उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, खात्मा आवेदन एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण। 2–**आरक्षी केन्द्र, मालथौन एवं बांदरी** से उद्भूत एवं महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबंधित समस्त मामले एवं परिवाद(घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि0 2005, भरण पोषण, के प्रकरण, अन्य विविध कार्यवाहियां सहित)। 3– मालथौन तहसील के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्रों से उत्पन्न समस्त वन एवं खनिज विभाग से संबंधित प्रकरण। 4– आबकारी वृत्त मालथौन एवं बांदरी से उत्पन्न प्रकरण। 5– समय–समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।
14	**सुश्री सौम्या विजयवर्गीय जेएमएफसी खुरई**	आरक्षी केन्द्र **खिमलासा**	1– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय खुरई द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस **<u>थाना खिमलासा</u>** से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी/उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, खात्मा आवेदन एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण। 2–**आरक्षी केन्द्र, खिमलासा** से उद्भूत महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबंधित समस्त मामले एवं परिवाद(घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि0 2005, भरण पोषण, के प्रकरण, अन्य विविध कार्यवाहियां सहित)। 2– समय–समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।
15	**श्री विजयेन्द्रसिंह रावत जेएमएफसी बीना**	आरक्षी केन्द्र **बीना, जी. आर.पी., बीना**	1–मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस **<u>थाना बीना एवं जी.आर.पी., बीना</u>** से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी/उपार्पण योग्य पुलिस चालान,

			परिवाद, खात्मा आवेदन, सहित सभी विविध आपराधिक प्रकरण। 2– तहसील बीना के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्रों से उत्पन्न समस्त वन एवं खनिज से उत्पन्न सभी आपराधिक प्रकरण। 3– समय–समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।
16	**श्री आशुतोष यादव, जे.एम.एफ.सी., बीना**	आरक्षी केन्द्र **आगासौद**	1– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस **आरक्षी केन्द्र, आगासौद** से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी /उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, खात्मा आवेदन, सभी विविध आपराधिक प्रकरण । 2– आबकारी वृत बीना से उत्पन्न प्रकरण। 3– समय–समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।
17	**सुश्री सौम्या साहू जेएमएफसी बीना**	**आरक्षी केन्द्र भानगढ़**	1– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस **थाना भानगढ** से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी/उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, खात्मा आवेदन तथा सभी विविध आपराधिक प्रकरण। 2–**आरक्षी केन्द्र, बीना, जी.आर.पी. बीना,आगासौद एवं भानगढ़** से उद्भूत महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबंधित समस्त मामले एवं परिवाद (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि0 2005, भरण पोषण, के प्रकरण, अन्य विविध कार्यवाहियां सहित)। 2– समय–समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।
18	**श्री सदाशिव दांगोड़े जेएमएफसी देवरी**	**आरक्षी केन्द्र देवरी**	1–मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस **थाना–देवरी** से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी /उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, खात्मा आवेदन तथा सभी विविध आपराधिक प्रकरण। 2–तहसील देवरी के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्रों से उत्पन्न समस्त वन एवं खनिज से उत्पन्न सभी आपराधिक प्रकरण।

			3– समय–समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।
19	**श्री मनोरम तिवारी, जेएमएफसी देवरी**	आरक्षी केन्द्र **महराजपुर**	1– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस **थाना महाराजपुर** से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी/उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, खात्मा आवेदन तथा सभी विविध आपराधिक प्रकरण। 2– आबकारी वृत तहसील देवरी से उत्पन्न प्रकरण। 2– समय–समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।
20	**सुश्री प्राची कौरव, जेएमएफसी देवरी एवं श्रृंखला न्यायालय, केसली के लिये**	आरक्षी केन्द्र **गौरझामर** (गौरझामर के अंतर्गत आने वाले वे ग्राम जो कि तहसील देवरी के अंतर्गत आते हैं, से उत्पन्न होने वाले प्रकरण।)	1– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस **थाना गौरझामर** (गौरझामर के अंतर्गत आने वाले वे ग्राम जो कि तहसील देवरी के अंतर्गत आते हैं,से उत्पन्न होने वाले प्रकरण) से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी/उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, खात्मा आवेदन तथा सभी विविध आपराधिक प्रकरण। 2–**आरक्षी केन्द्र,महाराजपुर, गौरझामर, एवं देवरी** से उद्भूत महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबंधित समस्त मामले एवं परिवाद(घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि0 2005, भरण पोषण, के प्रकरण, अन्य विविध कार्यवाहियां सहित)। 3– समय–समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।
21	**श्री सतीष शर्मा, जेएमएफसी रहली**	**आरक्षी केन्द्र रहली**	1– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस **थाना रहली** से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी /उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, खात्मा आवेदन तथा अन्य सभी विविध आपराधिक प्रकरण। 2–आबकारी वृत रहली से उत्पन्न प्रकरण। 3–. तहसील रहली के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षत्रों से उत्पन्न समस्त वन विभाग एवं खनिज विभाग से सबंधित प्रकरण।

			4– उपजेल–रहली में निरूद्ध बंदियों की मृत्यु से संबंधित जांच प्रतिवेदन अंतर्गत धारा 176 द.प्र.सं.। 5– समय–समय पर माननीय जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।
22	**सुश्री प्राची श्रीवास्तव जेएमएफसी रहली**	**चौकी बलेह**	1– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस **चौकी बलेह** से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी /उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, खात्मा आवेदन तथा अन्य सभी विविध आपराधिक प्रकरण। 2–**आरक्षी केन्द्र,रहली एवं चौकी बलेह** से उद्भूत महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबंधित समस्त मामले एवं परिवाद(घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि0 2005, भरण पोषण, के प्रकरण, अन्य विविध कार्यवाहियां सहित)। 3–समय–समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।
23	**श्री आशीष ध्रुवे जेएमएफसी गढ़ाकोटा**	**आरक्षी केन्द्र गढ़ाकोटा**	1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस **थाना गढाकोटा** से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी/उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, खात्मा आवेदन तथा सभी विविध आपराधिक प्रकरण। 2– तहसील गढ़ाकोटा के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्रों से उत्पन्न समस्त वन एवं खनिज से उत्पन्न सभी आपराधिक प्रकरण। 3. आबकारी वृत गढ़ाकोटा से उत्पन्न प्रकरण। 4. समय–समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।
24	**श्रीमती पल्लवीसिंह, जे.एम.एफ.सी., गढ़ाकोटा**	–	1.तहसील गढ़ाकोटा के अंतर्गत आने वाले महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबंधित समस्त मामले (उपार्पण योग्य सहित) एवं परिवाद(घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि0 2005, भरण पोषण, के प्रकरण, अन्य विविध कार्यवाहियां सहित)।

			2.समय–समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।
25	**सुश्री संजना सरल, जेएमएफसी, बण्डा**	**आरक्षी केन्द्र बण्डा एवं विनायका**	1– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस **थाना बण्डा एवं विनायका** से उत्पन्न सभी आपराधिक प्रकरण, परिवाद, खात्मा आवेदन एवं समस्त विविध आपराधिक प्रकरण। 2–**आरक्षी केन्द्र, बण्डा एवं बिनायका** से उत्पन्न महिलाओं के विरूद्ध अपराधों से संबंधित प्रकरण एवं महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबंधित समस्त मामले एवं परिवाद (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि0 2005, भरण पोषण, के प्रकरण, अन्य विविध कार्यवाहियां सहित)। 2– आबकारी वृत बण्डा से उत्पन्न प्रकरण। 3–तहसील बण्डा एवं तहसील शाहगढ़ के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्रों से उत्पन्न **वन एवं खनिज** से संबंधित सभी आपराधिक प्रकरण। 4– उपजेल–बण्डा में निरूद्ध बंदियों की मृत्यु से संबंधित जांच प्रतिवेदन अंतर्गत धारा 176 द.प्र.सं.। 5–समय–समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।
26	**सुश्री प्रिया गुप्ता, जेएमएफसी बण्डा**	**आरक्षी केन्द्र शाहगढ़, बरायठा एवं छानबीला**	1– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर **पुलिस थाना शाहगढ़, बरायठा एवं छानबीला** से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी/ उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, खात्मा आवेदन एवं समस्त विविध आपराधिक प्रकरण। 2–**आरक्षी केन्द्र, शाहगढ़, बरायठा एवं छानबीला तथा तहसील शाहगढ़** के अंतर्गत आने वाले समस्त थाना क्षेत्रों से उत्पन्न महिलाओं के विरूद्ध अपराधों से संबंधित प्रकरण एवं महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबंधित समस्त मामले एवं परिवाद (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि0 2005, भरण पोषण, के प्रकरण, अन्य विविध

			कार्यवाहियां सहित)। 2– समय–समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।
27	**सुश्री ज्योत्सना तोमर, जे.एम.एफ.सी.,बण्डा**	**आरक्षी केन्द्र–बहरोल**	1– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर **पुलिस <u>बहरोल</u>** से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी/ उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, खात्मा आवेदन एवं समस्त विविध आपराधिक प्रकरण 2–**आरक्षी केन्द्र, बहरोल** से उद्भूत महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबंधित समस्त मामले एवं परिवाद (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि0 2005, भरण पोषण, के प्रकरण, अन्य विविध कार्यवाहियां सहित)। 2– समय–समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।
.28	**श्री सत्यम देवलिया, जेएमएफसी केसली**	आरक्षी केन्द्र **केसली, गौरझामर** (गौरझामर के अंतर्गत आने वाले वे ग्राम जो कि तहसील केसली के अंतर्गत आते हैं,से उत्पन्न होने वाले प्रकरण।)	1– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस **<u>थाना केसली, गौरझामर</u>** (गौरझामर के अंतर्गत आने वाले वे ग्राम जो कि तहसील केसली के अंतर्गत आते हैं,से उत्पन्न होने वाले प्रकरण)से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी/ उपार्पण योग्य समस्त पुलिस चालान, परिवाद, खात्मा आवेदन तथा सभी विविध आपराधिक प्रकरण। 2– तहसील केसली के अन्तर्गत आने वाले वन परिक्षेत्रों से उत्पन्न समस्त वन एवं खनिज से उत्पन्न सभी आपराधिक प्रकरण। 3– आबकारी वृत तहसील केसली से उत्पन्न प्रकरण। 4– समय–समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।

(श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागर
जिला–सागर म0प्र0

सामान्य आदेश

1. इस कार्य विभाजन से किसी अधिनियम, नियम अथवा अधिसूचना द्वारा दिया गया क्षेत्राधिकार प्रभावित नहीं होगा।
2. इस आदेश के निर्वहन में किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न होने पर मार्गदर्शन हेतु **मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट** को संदर्भित किया जावे।
3. वर्तमान कार्य विभाजन आदेश का लंबित प्रकरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
4. न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उनकी अनुपस्थिति में **अनुलग्नक–एक** के अनुसार आवश्यक आपराधिक कार्य संपादित किया जावेगा, आवश्यक आपराधिक कार्य से तात्पर्य –रिमाण्ड, जमानत, उपस्थिति माफी आवेदन, वाहन सुपुर्दनामा आवेदन पत्रों का निराकरण तथा संक्षिप्त विचारण शक्तियों से सशक्त होने पर समरी प्रक्रिया के विचारणीय ऐसे प्रकरणों के चालान, जिसमें अभियुक्त दोषसिद्धि का अभिवाक् करना चाहता है। ऐसे उपस्थित साक्षियों का परीक्षण करना जो वृद्धावस्था तथा किसी बीमारी अथवा दूरस्थ स्थान से सम्मन या वारण्ट पर उपस्थित हुआ हो एवं उनका पुनः उपस्थित होना अत्यंत व्यय साध्य एवं असुविधाजनक हो और जहां से उसे आहूत करना असुविधाजनक व असंभव होगा, ऐसे प्रकरण में संबंधित मजिस्ट्रेट आवश्यक साक्ष्य लेने के उपरांत उस प्रकरण को मूल न्यायालय के समक्ष वापस करेंगे। **न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में अनुलग्नक–एक के अनुसार आवश्यक आपराधिक कार्य सम्पादित किये जाने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा अभियोग पत्र भी लिये जावेंगे, वह उनके न्यायालय में ही सी.आई.एस. में दर्ज करावे जावें तथा संबंधित न्यायालय से रिमाण्ड एवं अन्य पत्रावली तलब कर उसके अभिलेख में संलग्न किये जावें।**
5. आवश्यक कार्य देख रहे मजिस्ट्रेट यदि संक्षिप्त विचारण करने हेतु सशक्त हो तो अन्य न्यायालय के ऐसे मामलों का निराकरण कर सकेंगे, जो समरी प्रक्रिया के तहत विचारणीय हो एवं अभियुक्त अन्य जिले का निवासी हो तथा वारण्ट या गिरफ्तार करके लाया गया हो एवं दोष के अभिवाक करने का आवेदन करे, तब ऐसे प्रकरण के अभिलेख निराकरण पश्चात मूल न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में वापस होगा।
6 सागर नगर सीमा क्षेत्र के अंतर्गत चलित न्यायालय सुपुर्दगी की व्यवस्था मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार की जावेगी।
7. सागर जिले की तहसील में पदस्थ सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट आवश्यकतानुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त कर संबंधित क्षेत्र में चलित न्यायालय लगा सकेंगे।
8. जिला मुख्यालय पर रिमाण्ड ड्यूटी करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट को उस दिन जिले के समस्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों का अतिरिक्त आवश्यक कार्य संपादित करने का अधिकार क्षेत्र होगा।
9. आकस्मिकता की अवस्था में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मजिस्ट्रेट की रिमाण्ड ड्यूटी में परिवर्तन किया जावेगा।

10. संबंधित मजिस्ट्रेट अपने–अपने आरक्षी केन्द्र क्षेत्र की ओर से प्रस्तुत होने वाले अंतिम प्रतिवेदन स्वीकृत किये जाने के लिए प्रस्तुत आवेदनों का निराकरण करेंगे।

11. सागर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से संबंधित अपराधों के बारे में **धारा 164** दं.प्र.सं. के अधीन अपराधी की संस्वीकृति या साक्षियों के कथन **अनुलग्नक–दो** में वर्णित मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किये जावेगें।

12. जिन मजिस्ट्रेटस का स्थानान्तरण हो चुका है और उनके स्थान पर किसी न्यायाधीश की पदस्थापना नहीं हुई है तथा वह न्यायालय रिक्त है तो उनसे संबंधित **समस्त वारण्ट स्थायी वारण्ट सहित** एवं रिक्त न्यायालय के मजिस्ट्रेट द्वारा निराकृत आपराधिक प्रकरण एवं उससे संबंधित विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां से संबंधित अन्य विविध कार्यवाहियां अन्य विविध कार्यवाहियां, तथा पूर्व पीठासीन अधिकारियों द्वारा पारित निर्णय जिनके न्यायालय मुख्यालय पर वर्तमान में रिक्त है, की अपील/निगरानी माननीय अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश का परिपालन मुख्यालय पर **सुश्री सोनम रघुवंशी,**जेएमएफसी सागर के न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

13. मोटर वाहन दुर्घटना से संबंधित आपराधिक प्रकरणों में वाहन सुपुर्दगी के मामलों में वाहन के रजिस्ट्रेशन, बीमा, ड्रायविंग लायसेंस, परमिट एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रति सत्यापित कर सुपुर्दगी प्रपत्र के साथ संलग्न की जावे।

14 माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य मामलों के उपार्पण कार्यवाही के दौरान उपार्पण आदेश पारित किये जाते समय अभिलेख के साथ संबंधित मामले की केस डायरी भी रिकार्ड के साथ भेजा जाना सुनिश्चित किया जावे तथा मुद्देमाल भी संबंधित न्यायालय को भेजा जाना सुनिश्चित किया जावे।

15. समस्त अभियोग पत्र में **टाईप्ड एम.एल.सी. संलग्न कराना सुनिश्चित करें।**

16. विचाराधीन बण्डल फाईल **(रिमाण्ड प्रपत्र व सुपुर्दगी प्रपत्र)** संबंधित आरक्षी केन्द्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले जेएमएफसी के न्यायालय में भेजे जावे।

17. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के मेमोरेण्डम क्रमांक 1295/सीजे–ा/890 जबलपुर दिनांक 18.11.2013 के पालन में चालान प्रस्तुत किये जाते समय मुद्देमाल को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

18. धारा 325 दं.प्र.सं. के अंतर्गत प्रकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजे जाने के साथ ही जप्तशुदा सम्पत्ति भी भेजी जावे।

19. सागर मुख्यालय पर अनुलग्नक क्रं.01 के अनुसार मजिस्ट्रेट के न होने पर वरिष्ठतम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कार्य सम्पादित करेंगे।

20. **केन्द्रीय जेल सागर में निरूद्ध बंदियों की मृत्यु से संबंधित जांच अंतर्गत धारा 176 न्यायिक मजिस्ट्रेट में निरूद्ध बंदी की कार्यवाही उस द्वारा की जावेगी तथा द.प्र.सं. के तहत जिला मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठ पुरूष द्वारा की जावेगी। तहसील मुख्यालय पर स्थित उपजेल मृत्यु हो जाने पर मृत्यु जांच की धारा 176 दं.प्र.सं. की तहसील मुख्यालय के वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्व ारा की जावेगी तथा उनकी अनुपस्थिति में उनका कार्य देख रहे मजिस्ट्रेट द्वारा की जावेगी।**

21. **रिमाण्ड ड्यूटी के दिवस प्रोटोकॉल आने पर रिमाण्ड मजिस्ट्रेट ही प्रोटोकॉल ड्यूटी करेगा।**

22. किशोर न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश के लम्बी अवधि पर अवकाश पर

जाने पर उक्त न्यायालय का आवश्यक कार्य (रिमाण्ड ड्यूटी कार्य को छोड़कर),**कार्य दिवस में ही** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सम्पादित किया जावेगा।

नोटः–1– उपरोक्त आदेश ग्राम न्यायालय के संबंध में भी लागू होगा, साथ ही किशोर न्याय बोर्ड, सागर में कोई सदस्य उपलब्ध न होने पर किशोर न्याय बोर्ड, सागर की पीठासीन अधिकारी के द्वारा **रिमाण्ड कार्य** सम्पादित किया जावेगा, इनके अवकाश/मुख्यालय से बाहर/पद रिक्त अथवा स्थानांतरण होने की दशा में सुश्री मीनू पचौरी दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सागर तथा उनकी अनुपस्थिति में सुश्री प्रीति ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सागर तथा सुश्री प्रीति ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में अनुलग्नक–एक के अनुसार प्रभार रखने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड संबंधी कार्य निष्पादित किया जावेगा।

(श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागर
जिला–सागर म0प्र0

अनुलग्नक–एक

1. नीचे दी गयी सूची के कालम क्रमांक–1 में नामित मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में उसके न्यायालय के आवश्यक कार्य क्रमशः कालम क्रमांक–2, 3, 4 में नामित मजिस्ट्रेट करेंगे।
2. कालम क्रमांक–1, 2, 3, 4 में नामित चारों मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में कालम क्रमांक–4 में नामित मजिस्ट्रेट के न्यायालय के आवश्यक प्रभार वाले मजि0 द्वारा क्रमानुसार किया जावेगा।
3. आवश्यक कार्य, कार्य विभाजन पत्रक के सामान्य आदेश की कंडिका 5, 6, 7 में उल्लिखित कार्य होंगे।

क	कॉलम कमांक–1	कॉलम कमांक–2	कॉलम कमांक–3	कॉलम कमांक–4
1	श्रीमती किरण तुमराची ध्रुवे	श्रीमती मीनू पचौरी दुबे	श्री आशीष शर्मा, सीनियर	सुश्री प्रीति ठाकुर
2	श्रीमती उर्मिला खेड़कर	–	–	–
3	श्री राजकुमार त्रिपाठी	सुश्री प्रीति ठाकुर	सुश्री मीनू पचौरी दुबे	श्री राहुल सोनी
4	श्रीमती मीनू पचौरी दुबे	सुश्री सोनम रघुवंशी	सुश्री आयुषि उपाध्याय	श्री हर्षवर्धन धाकड़
5	श्री आशीष शर्मा सीनियर	श्री राहुल सोनी	सुश्री प्रीति ठाकुर	श्री आशीष शर्मा जूनियर
6	सुश्री राहुल सोनी	श्री आशीष शर्मा, सीनियर	सुश्री सोनम रघुवंशी	सुश्री आयुषि उपाध्याय
7	सुश्री प्रीति ठाकुर	सुश्री आयुषि उपाध्याय	श्री राहुल सोनी	सुश्री मीनू पचौरी दुबे
.8	श्री आशीष शर्मा,जूनियर	श्री हर्षवर्धन धाकड़	सुश्री सोनम रघुवंशी	सुश्री आयुषी उपाध्याय
9	श्री हषर्वधन धाकड़	श्री आशीष शर्मा जूनियर	सुश्री प्रीति ठाकुर	सुश्री सोनम रघुवंशी
10	सुश्री सोनम रघुवंशी	श्री राहुल सोनी	श्री हर्षवर्धन धाकड़	श्री आशीष शर्मा सीनियर
.11	सुश्री आयुषी उपाध्याय	सुश्री मीनू पचौरी दुबे	श्री आशीष शर्मा,जूनियर	सुश्री सोनम रघुवंशी
.12	श्रीमती रूचितासिंह गुर्जर	सुश्री आरती आर्य	सुश्री सौम्या विजयवर्गीय	तहसील बीना में पदस्थ वरिष्ठ मजिस्ट्रेट
13	सुश्री आरती आर्य	सुश्री सौम्या विजयवर्गीय	श्रीमती रूचितासिंह गुर्जर	तहसील बीना में पदस्थ वरिष्ठ मजिस्ट्रेट
14	सुश्री सौम्या विजयवर्गीय	श्रीमती रूचितासिंह गुर्जर	सुश्री आरती आर्य	तहसील बीना में पदस्थ वरिष्ठ मजिस्ट्रेट
.15	श्री विजेन्द्रसिंह रावत	श्री आशुतोष यादव	सुश्री सौम्या साहू	तहसील खुरई में पदस्थ वरिष्ठ मजिस्ट्रेट
16	श्री आशुतोष यादव	श्री विजेन्द्रसिंह रावत	सुश्री सौम्या साहू	तहसील खुरई में पदस्थ

				वरिष्ठ मजिस्ट्रेट
17	सुश्री सौम्या साहू	श्री आशुतोष यादव	श्री विजेन्द्रसिंह रावत	तहसील खुरई में पदस्थ वरिष्ठ मजिस्ट्रेट
18	श्री सदाशिव दांगौड़े	श्री मनोरम तिवारी	श्रीमती प्राची कौरव	श्री सतीष शर्मा
19	श्री मनोरम तिवारी	श्री सदाशिव दांगौड़े	श्रीमती प्राची कौरव	सुश्री प्राची श्रीवास्तव
20	सुश्री प्राची कौरव	श्री मनोरम तिवारी	श्री सदाशिव दांगौड़े	सुश्री प्राची श्रीवास्तव
21	श्री सतीष शर्मा	सुश्री प्राची श्रीवास्तव	श्री आशीष धुर्वे	श्रीमती पल्लवीसिंह
22	सुश्री प्राची श्रीवास्तव	श्री सतीष शर्मा	श्रीमती पल्लवीसिंह	श्री आशीष धुर्वे
23	श्री आशीष धुर्वे	श्रीमती पल्लवीसिंह,	सुश्री प्राची श्रीवास्तव	श्री सतीष शर्मा
.24	श्रीमती पल्लवीसिंह	श्री आशीष धुर्वे	श्री सतीष शर्मा	सुश्री प्राची श्रीवास्तव
25	श्रीमती संजना सरल	सुश्री प्रिया गुप्ता	सुश्री ज्योत्सना तोमर	श्रीमती मीनू पचौरी दुबे
26	सुश्री प्रिया गुप्ता	श्रीमती संजना सरल	सुश्री ज्योत्सना तोमर	श्री हर्षवर्धन धाकड़
27	सुश्री ज्योत्सना तोमर	सुश्री प्रिया गुप्ता	सुश्री संजना सरल	श्री आशीष शर्मा जूनियर
28	श्री सत्यम देवलिया	श्री मनोरम तिवारी	श्रीमती प्राची कौरव	श्री सदाशिव दागौंड़े

नोट:– 1–उपरोक्त आदेश ग्राम न्यायालय एवं किशोर न्याय बोर्ड के संबंध में भी लागू होगा।

2:– इसी तरह अवकाश के दिनों में संपादित की जाने वाली रिमाण्ड ड्यूटी के संबंध में यदि किसी मजिस्ट्रेट का स्थानान्तरण हो जाता है या कोई मजिस्ट्रेट लंबी अवधि के अवकाश पर जाता है, तो कार्य विभाजन पत्रक के अनुलग्न–एक के अनुसार प्रभार रखने वाले मजिस्ट्रेट अवकाश के दिनों में रिमाण्ड कार्य संपादित करेंगे।

(श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,सागर
जिला–सागर म.प्र.

कार्यालय :–मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर जिला सागर मध्यप्रदेश

–: आपराधिक संशोधित कार्य विभाजन पत्रक–धारा–164 द.प्र.सं. :–

(अनुलग्नक ''दो'')

सारणी कमांक–1

कमांक	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र
1	2	3
1–	श्रीमती मीनू पचौरी दुबे,सागर	सानौधा, नरयावली,बहेरिया,कोतवाली,
2–	सुश्री प्रीति ठाकुर,सागर	जी.आर.पी.सागर, मोतीनगर, महिला थाना
3–	सुश्री आयुषि उपाध्याय,सागर	मकरोनिया,गोपालगंज, केण्ट,
4–	सुश्री सोनम रघुवंशी,सागर	जैसीनगर, अजाक, सुरखी, सिविल लाईन, आबकारी थाना, राहतगढ़।
5–	सुश्री रूचिता सिंह गुर्जर, खुरई	मालथौन, बांदरी,
6–	सुश्री आरती आर्य,खुरई	खिमलासा
7–	सुश्री सौम्या विजयवर्गीय, खुरई	खुरई
8–	सुश्री संजना सरल,बण्डा	शाहगढ़, बरायठा एवं छानबीला
9–	सुश्री प्रिया गुप्ता, बण्डा	बहरोल
10–	सुश्री ज्योत्सना तोमर,बण्डा	बण्डा एवं बिनायका

11–	**सुश्री प्राची श्रीवास्तव,रहली**	**महाराजपुर,गौरझामर,देवरी** (धारा 376 एवं पॉक्सो से संबंधित अपराध तथा एस.सी.एस.टी. प्रकरणों से संबंधित अपराध को छोड़कर) एवं **गढ़ाकोटा,**
12–	**सुश्री प्राची कौरव,देवरी**	**केसली,महाराजपुर, गौरझामर एवं देवरी** (धारा 376 एवं पॉक्सो से संबंधित अपराध तथा एस.सी.एस.टी. प्रकरणों से संबंधित अपराध)
13–	**श्रीमती पल्लवीसिंह,गढ़ाकोटा**	**चौकी बलेह, रहली**
14–	**श्री विजयेन्द्रसिंह रावत, बीना**	**आगासौद, भानगढ़**
15–	**श्री आशुतोष यादव, बीना**	**बीना, जी.आर.पी.बीना,**

नोट :–1. पुलिस अधीक्षक,सागर के पत्र क्रमांक/पु.अ./सागर/रीडर/न्याया/23/2023 दिनांक 13.02.2023 के परिप्रेक्ष्य में इस सारिणी के क्रं.14 एवं 15 को जोड़ा गया है।

2. जिला मुख्यालय, सागर पर महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश में होने पर मुख्यालय में पदस्थ वरिष्ठतम महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त कथन अंकित किये जावेंगे। जिला मुख्यालय से बाहर तहसील मुख्यालयों पर पदस्थ महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश में होने पर नजदीकी मुख्यालय में पदस्थ वरिष्ठतम महिला मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त कथन लेखबद्ध किये जावेंगे और यदि वरिष्ठतम मजिस्ट्रेट अवकाश पर रहते हैं तो उक्त तहसील मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठ महिला मजिस्ट्रेट द्वारा कथन अंकित किये जावेंगे। इसके अलावा यदि तहसील मुख्यालयों पर पदस्थ महिला मजिस्ट्रेट अवकाश पर रहते हैं तो जिला मुख्यालय पर पदस्थ वरिष्ठतम महिला मजिस्ट्रेट द्वारा कथन अंकित किये जावेंगे।

3.. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र के अतिरिक्त यदि कोई भी धारा 164दं.प्र.सं. के कथन आते हैं तो जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालयों में पदस्थ वरिष्ठ महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंकित किये जावेंगे। महिला मजिस्ट्रेट न होने की दशा में उक्त स्थापना के वरिष्ठ मजिस्ट्रेट द्वारा अंकित किये जावेंगे।

सारणी क्रमांक–2

महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों को छोड़कर शेष मामलों के लिए आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत मामलों में निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेट उनके सामने दर्शित आरक्षी केन्द्रों के धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन अभिलिखित करेगें :–

क्रमांक	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र
1	2	3
1–	श्री आशीष शर्मा सीनियर,सागर	गोपालगंज, नरयावली,कोतवाली
2–	श्री हर्षवर्धन धाकड़,सागर	सुरखी, केण्ट, राहतगढ़, आबकारी,मोतीनगर
3–	श्री आशीष शर्मा जूनियर,सागर	मकरोनिया, सिविल लाईन,जी.आर. पी., वन विभाग एवं खनिज विभाग
4–	श्री राहुल सोनी,सागर	जैसीनगर, बहेरिया,सानौधा
5–	सुश्री रूचिता सिंह गुर्जर, खुरई	मालथौन, बांदरी
6–	सुश्री आरती आर्य,खुरई	खिमलासा
7–	सुश्री सौम्या विजयवर्गीय, खुरई	खुरई
8–	श्री ब्रजेन्द्र सिंह रावत, बीना	आगासौद, भानगढ़
9–	श्री आशुतोष यादव,बीना	बीना, जी.आर.पी.,बीना
10–	सुश्री संजना सरल,बण्डा	शाहगढ़, बरायठा एवं छानबीला
11–	सुश्री प्रिया गुप्ता, बण्डा	बहरोल
12–	सुश्री ज्योत्सना तोमर,बण्डा	बण्डा एवं बिनायका
13–	श्री सतीष शर्मा,रहली	गढ़ाकोटा
14–	श्री आशीष धुर्वे,गढ़ाकोटा	तहसील रहली
15–	श्री सदाशिव दांगोड़े, देवरी	**आरक्षी केंद्र महाराजपुर,केसली एवं गौरझामर** (गौरझामर के अंतर्गत आने वाले वे ग्राम जो कि **तहसील केसली के अंतर्गत आते हैं)** से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण।
16–	श्री मनोरम तिवारी,देवरी	**आरक्षी केंद्र देवरी** से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण।
17–	श्री सत्यम देवलिया,केसली	**आरक्षी केन्द्र,गौरझामर** (गौरझामर के अंतर्गत आने वाले वे ग्राम जो कि **तहसील देवरी के अंतर्गत आते हैं)**।

1– सारणी क्रमांक–2 में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने पर अनुलग्नक–एक में उल्लेखित उनके प्रभारानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट कथन ले सकेंगे धारा–164 दं0प्र0सं0 के तहत

कथन लेखबद्ध करने वाले प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास यदि उन्हीं के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्र का मामला कथन हेतु पेश हो तो उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट का प्रभारी कथन लेंगे, यदि प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट कथन लेने से इन्कार करते हैं या ऐसी कोई कार्यवाही करते हैं, जिससे साक्षी के कथन लेने में असुविधा होती हो, तो इसकी सूचना तत्काल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय की ओर प्रेषित करेंगे।

(**श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे**)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागर (म.प्र.)

प्रतिलिपि :–

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सागर जिला सागर म0प्र0 की ओर अनुमोदन हेतु सादर प्रेषित।

(श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,सागर